डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर मुकाम टोडाभीम
व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

1.जगन पुत्र भौरया

2.विश्राम पुत्र भौरया

3. कमलेश पुत्र हजारीलाल

4.दिनेश पुत्र हजारीलाल

5.फूलदेवी पत्नि स्व0 हजारीलाल

समस्त जाति मीना निवासी एकलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी व ट्रेस हाल अन्तर्गत धारा 88 राज0टे.एक्ट व धारा 136 राज0लै0रे0एक्ट

मुकदमा नं0 – 14/2018

तारीख रजू – 16.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल करार्ड रूबरू राम मनोहरी गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम पक्ष वादीगण, पेशकार सरकार स्वंय उपस्थित पक्ष प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दई बवक्त हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी खारिज किया जाता है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

मिन .... मुवक्किल ....बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

दिनांक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.06.2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला-करौली

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम (करौली)

मुहर ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प पजय सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			मापा इजराय हुक्मनामा		
मापा इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट:- इस खर्चा के चार्ज पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 – 14 / 2018

तारीख रजू – 16.01.2018

उनवान

1.जगन पुत्र भौरया

2.किशन पुत्र भौरया

3. कमलेश पुत्र हजारीलाल

4.दिनेश पुत्र हजारीलाल

5.फूलदेवी पत्नि स्व0 हजारीलाल

समस्त जाति मीणा निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

–प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरारहक इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी व ट्रेस हाल अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व धारा 136 राज0लै0रे0एक्ट

उपस्थिति– श्री मनोज गुप्ता एडवोकेट टोडाभीम – पक्ष वादीगण

उपस्थिति – पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित –पक्ष प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक– 28.06.2018

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि गत खसरा नं0 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 215 रकबा 9 बिस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम वादीगण की खातेदारी व कब्जा कास्त की भूमि है। भूप्रबंध से पूर्व जमाबंदी संवत 2039 से 2042 मे खातेदारी दर्ज है तथा इस भूमि को गत ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वादीगण भूप्रबंध से पूर्व व आज तक अपनी भूमि पर गत ट्रेस व जमाबंदी के अनुसार काबिज है। वादीगण का एक खसरा नं0 215 मे कुआ भाह को भी गत ट्रेस मे स्पष्ट रूप

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

से दर्शाया गया है। चूंकि गत खसरा नं० 112 चरागाह वादीगण की उक्त भूमि के लगता है। भूप्रबंध विभाग ने गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नहीं किया है तथा क्लेरिकल मिस्टेक है। वादीगण की गत भूमि खसरा नं० 216, 215 को हाल ट्रेस में चारागाह दर्ज कर दिया है तथा खातेदारी में चारागाह भूमि खसरा नं० 105, 112 में दे दी है जबकि ये खसरा नं० चारागाह दर्ज होने चाहिये और हाल खसरा नं० 187 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन चाह, 186 रकबा 0.20, 185 रकबा 0.14, 131 रकबा 0.04 वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने चाहिये तथा इसी प्रकार हाल ट्रेस में गत ट्रेस के अनुसार खसरा नं० दर्ज होने चाहिये। वादीगण ने तहसीलदारजी टोडाभीम से दिनांक 15.01.2008 को हाल ट्रेस को गत ट्रेस के अनुसार दुरुस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि दुरुस्ती का दावा पेश करो तब ही ट्रेस व जमाबंदी में दुरुस्ती हो सकती है तथा लिखित चाही है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती ट्रेस दुरुस्ती डिक्री विभाजनकार भूमि गत खसरा नं० 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 215 रकबा 9 बिस्वा ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम का मुताबिक गत ट्रेस को हाल ट्रेस में दिये गये हाल खसरा नं० 105, 112 को चारागाह में दर्ज किया जाकर वादीगण के नाम गत जमाबंदी व ट्रेस के अनुसार हाल खसरा नं० 187 रकबा 0.01 हेक्टयर गैर मुमकिन चाह, 186 रकबा 0.20 हेक्टयर, 185 रकबा 0.14 हेक्टयर, 131 रकबा 0.04 हेक्टयर ग्राम एदलपुर की खातेदारी दर्ज की जावे तथा तहसीलदारजी टोडाभीम को हाल ट्रेस व जमाबंदी में उपरोक्तानुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार पैरोकार उपस्थित हुये तथा उनकी तरफ से जवाब पेश किया। प्रतिवादी सरकार पैरोकार की तरफ से नायब तहसीलदार उपतहसील महस्वा की तरफ से जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम एदलपुर की जमाबंदी संवत 2039 से 2042 खाता संख्या 40 खसरा नं० 215 क्षेत्रफल 9 बिस्वा वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोरया के नाम अन्य खातेदारों के साथ सामलाती हिस्से में दर्ज है तथा खाता संख्या 24 खसरा नं० 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वादी नं० 1 जगन पुत्र भोरया के नाम दर्ज है। वादी संख्या 3 से 5 का नाम उक्त जमाबंदी में नहीं है। किन्तु संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम एदलपुर में गत नं० 215 से हाल नं० 192 क्षेत्रफल 0.11 हेक्टयर से बनाया गया है जो वर्तमान में वादी संख्या 1 नं० 5 व अन्य की सामलाती खातेदारी में हिस्से में दर्ज है व गत खसरा नं० 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नं० 189 रकबा 0.26 हेक्टयर बनाया गया है जो वर्तमान में वादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। रकबा के भौतिकता हल में भूप्रबंध विभाग द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया है।

[illegible]
टोडाभीम (करौली)

वादीगण ग्राम एदलपुर की खसरा नं0 187 0.01 185 0.14 186 0.20 131 0.04 को अपनी खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है जो वर्तमान में चारागाह है व पूर्व में भी खसरा नं0 82/1 व 82/2 से बने है जो चारागाह दर्ज है। भूप्रबंध से पूर्व व वर्तमान नक्शातरमीमों का मिलान करने पर भी खातेदारी भूमि के स्थान पर चारागाह किया जाना प्रमाणित नही होता है। अतः प्रकरण शुद्धि योग्य नही होने के कारण दावा वादीगण खारिज किया जाना उचित है। जवाब रोकने सादर प्रेषित है तथा प्रतिवादी सरकार पैरोकार ने कथन किया कि दावा वादी खारिज किया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बालघाट ने अपनी अपनी दलीले प्रस्तुत की। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये इन्द्राज दुरस्ती करते हुये वादी का दावा डिक्रि करने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि साबिक रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से नवीन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाते हुये भूप्रबंध विभाग ने कोई गलती नही की है। नवीन रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस सही बनाये गये है। वादी की भूमि चारागाह है। भूप्रबंध विभाग ने चारागाह सही दर्ज की। दावा खारिज किया जावे।

बहस सुन पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। साबिक जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अनुसार ही जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाये गये है, भूप्रबंध विभाग ने कोई त्रुटि नही की है।

अतः दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादी खारिज किया जाता है। पर्चा फाईनल डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner